न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 104/2007
निर्णय दिनांकः– 26.2.2016

उनवान

1.हरजीलाल पुत्र शम्भू जाति नायक निवासी भोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सुरजन पुत्र शम्भू जाति नायक निवासी भोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
–प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थितः श्री बी0यू0खान , वकील प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–
यह कि प्राथीग्ण के पिता के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की साबिका आराजी ख0न0 1043 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा तथा प्रार्थीगण के पिता की आवंटनशुदा आराजी साबिका ख0न0 27 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम भोजपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। साबिक आराजी ख0न0 1043 मि0 के नये खसरा नम्बर 2279 तथा ख0न0 800 बनाये है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। साबिक ख0न0 27 रकबा 5 बीघा दिनांक 28.4.2005 को आवंटित हुयी थी। तब से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आराजी ख0न0 1043 मि0 प्रार्थीगण के पिता के गैर खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी थी, जिसे सेटलमेन्ट मे प्रार्थीगण के पिता के गैर खातेदारी की आराजी ख0न0 1043 मि0 को हाल राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक र्ज कर दिया गया तथा रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा आवंटन शुदा आराजी को रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज कर रखा है। राजस्व रेकार्ड मे उक्त आराजी सिवायचक होने से प्रतिपक्षी न0 2 के मातहत कर्मचारी उक्त वर्णित आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने व सिविल जैल भिजवाने की धमकी देते है।

यह की प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रतिपक्षीगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह आराजी ख0न0 2279 रकबा 0.63, ख0न0 800 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम भोजपुरा तहसील उनियारा मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे ना प्रार्थी को बैदखल करे।

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि साबिक ख0न0 1043 मी0 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी के पिता की खातेदारी मे कभी दर्ज नही रही है। प्रार्थी के पिता को साबिक आराजी ख0न0 27 मे दिनांक 28.4.65 को 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, परन्तु आवंटन होने के पश्चात आवंटी ने उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही की है और ना ही आवंटन शर्तो की पालना की गई है। हाल ख0न0 2279 रकबा 2.56 है0 साबिक ख0न0 1043 मी व 1044 से मिलकर बना है। ख0न0 800 साबिक ख0न0 27/5 से बना है। वादीगण के द्वारा भू प्रबन्ध से पूर्व एवं भू प्रबन्ध के बाद की जमाबन्दी प्रस्तुत नही की है, जिससे यह स्पष्ट नही होता कि भू प्रबन्ध से पूर्व कुल कितनी भूमि थी तथा बाद मे कितनी भूमि खातेदारी मे दर्ज हुयी है। वादी ने कब्जा काश्त के सम्बन्ध मे कोई सबूत पेश नही किया है। भूमि सिवायचक दर्ज है। इस भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। साबिक ख0न0 1043 मि0 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम फुलेता प्रार्थीगण के पिता के खातेदारी मे न होकर गैर खातेदारी मे दर्ज थी। प्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी के कब्जे के सम्बन्ध मे कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा भू प्रबन्ध से पूर्व एवं भू प्रबन्ध के बाद की जमाबन्दी प्रस्तुत नही की है, जिससे यह स्पष्ट नही होता कि भू प्रबन्ध से पूर्व उसके खाते मे कुल कितनी भूमि थी तथा बाद मे कितनी भूमि खातेदारी मे दर्ज हुयी है। राजस्व रिकार्ड मे भूमि सिवायचक दर्ज होने से प्रतिपक्षी न0 2 द्वारा नियमानुसार राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित ही समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.2.2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाय गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner